

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल  
क्रमांक/एफ-5/1230/2023/10-11/ 2417 भोपाल, दिनांक 03/05/2024  
प्रति,

उप मुख्य अभियंता (निर्माण),  
पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर, म.प्र.।

विषय:- सीधी एवं सिंगरौली जिले में रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु सीधी वन मण्डल की 34.32 हेक्टेयर वनभूमि एवं सिंगरौली वन मण्डल की 141.92 हेक्टेयर वनभूमि कुल 176.24 हेक्टेयर वनभूमि पश्चिम मध्य रेल्वे जबलपुर, को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/RAIL/33238/2018)

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्र क्रमांक/6-MPR 016/2023-BHO/1/71165 दिनांक 03.05.2024  
----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार के चाहे अनुसार आपसे संबंधित बिन्दु की जानकारी तैयार कर वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-5/1230/2023/10-11/ 2418  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 03/05/2024

1- मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।

2- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, सीधी/सिंगरौली, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि जिन बिन्दुओं की जानकारी आवेदक से प्राप्त किया जाना है, प्राप्त कर एकजाई जानकारी इस कार्यालय को भिजवायें।

की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
मध्यप्रदेश, भोपाल



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE  
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL  
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,  
BHOPAL - 462016 (M.P.)



TEL: 0755-2466525 E-mail: [rowz.bpl-mef@nic.in](mailto:rowz.bpl-mef@nic.in)

क्रमांक: 6-एमपीआर 016/2023-बीएचओ/471165 दिनांक : 03/05/2024

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)।

विषय: सीधी एवं सिंगरौली जिले में रीवा-सीधी-सिंगरौली नई बड़ी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु 176.24 हेक्टेयर (34.32 हे. सीधी एवं 141.92 हे. सिंगरौली वनमण्डल) आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि उप मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/RAIL/33238/2018)।

संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1230/2022/10-11/1986 दिनांक 08/04/24.

2. आर्.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/313 दिनांक 01/05/2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर्.ई.सी. बैठक दिनांक 16/04/2024 को आयोजित की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 01/05/2024 (संदर्भित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. Approx. 13.79 ha Revenue land/ non-forest area which is included in the proposed construction, in 8 khasra(s) in the jurisdiction of Sidhi Forest Division and is recorded as Revenue Forest in the subject revenue records attract the provision of FCA, 1980. This Revenue forest area shall be included in the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980.
2. Revised land schedule comprising of details of under-ground and surface area of forest and non-forest included in project shall be submitted/ uploaded. The entry of non-forest land involved in the proposal shall also be done in designated columns of online Part-I and II accordingly.
3. Since NPV is 50% for the underground area as per the prevailing guidelines, therefore the State Government shall provide the revised calculation of NPV for the area proposed for diversion under the provision of FCA, 1980.
4. The DFOs shall provide a certificate to the effect that the KML of proposed diversion area is prepared and demarcation has been done on the basis of forest boundaries established in the prevailing working plan.
5. Areas in which past plantation activity is observed in the West Sarai Range, PF-674. such areas should be excluded from the area proposed for CA and revised KML shall be submitted/ uploaded in online portal accordingly.
6. Rehabilitation plan to be submitted.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी।

Signed by Yogesh Gairola

Date: 03/05/2024 09:49:07

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।